कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, कलेक्ट्रेट, मेरठ।

पत्रांक : 254/18 मार्च 23, 2018

समस्त उप निबन्धक,
जनपद मेरठ।

विषय : प्रदेश के बिल्डरों द्वारा फ्लैट/भवन का पंजीयन नहीं कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, शिविर–लखनऊ के उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या 814/तीन–ए–एम–654/शि.का.लख./2018 दिनांक 21.03.2018 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें जिसके द्वारा, शासन के पत्र संख्या 277/94–1–2018–312(52)/2018 दिनांक 16.03.2018 में उल्लिखित है कि, "पंजीयन हेतु अन्तिम विकल्प के रूप में प्रदेश के सभी जनपदों में जहां बिल्डर्स द्वारा आवंटित फ्लैट/भवन का पंजीयन/निबन्धन नहीं कराया गया है, वहां के बिल्डरों को चिन्हित करते हुए जिलाधिकारीगण, भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 एवं उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2010 तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में वर्णित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं, का उल्लेख करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ में, महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 21.03.2018 व शासन के पत्र दिनांक 16.03.2018 की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के पत्र में उल्लिखित निर्देशों के आलोक में, अपने–अपने कार्यालय के क्षेत्रान्तर्ग ऐसे बिल्डरों की सूची सम्पत्तियों के विवरण सहित तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(संजय श्रीवास्तव)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
मेरठ।